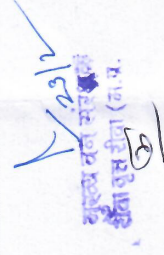


भाग III
संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।

1	स्थल जहां की वनभूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/ नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें	जी नहीं।
2	क्या वन संरक्षक उप वन संरक्षक के अभिमत से सहमत हैं। यदि नहीं तो उसका कारण दें।	सहमत है।
3	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में विस्तृत कारणों के साथ अभिमत।	रिलायंस जिओ इन्फोकांम लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित 4 जी ओ.एफ.सी. लाइन सतना जिले की गोविन्दगढ से सगौनीखुर्द मार्ग के किनारे-किनारे आर्टिकल फाइवर केवल लाइन डालने में प्रभावित वनभूमि वन परिक्षेत्र मुकुन्दपुर के कक्ष क्रमांक आर.एफ. 723, 727, 742, 843 कुल रकबा 0.330 हे० है। वनमण्डलाधिकारी सतना आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तावित आवेदित क्षेत्र 0.330 हे. वनभूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव प्रस्तावित प्रयोजन के उपयोगार्थ वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 (2) के प्रावधानों के तहत अनुशंसित किया गया है। ओ.एफ.सी. लाइन बिछाने की अनुमति वनमण्डलाधिकारी सतना द्वारा की गयी अनुशंसा के आधार पर इस कार्यालय द्वारा भी अनुशंसित है।

तिथि : 23.02.2019


 राज्य वन संरक्षक
 सतना (ना.प.)

Recommendation of CCF

सतना जिले के वनमण्डल सतना के वन परिक्षेत्र मुकुन्दपुर के कक्ष क्रमांक आर.एफ. 723, 727, 742 रकबा 0.330 हे० में गोविन्दगढ से सगौनीखुर्द रोड के किनारे-किनारे रिलायन्स जियो द्वारा आष्टिकल फायवर केबल डालने का कार्य किया जाना है। आष्टिकल फायवर केबल डालने में प्रभावित वनभूमि कक्ष क्रमांक क्रमांक आर.एफ.723, 727, 742 वन भूमि में कुल रकबा 0.330 हे० व्यपवर्तन की स्वीकृति हेतु वनमंडलाधिकारी सतना द्वारा की गयी अनुशंसा के आधार पर इस कार्यालय द्वारा भी अनुशंसित है।

मुख्य वन संरक्षक
रीवा वृत्त रीवा (म.प्र.)

